

मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद्

MADHYA PRADESH MEDICAL COUNCIL: BHOPAL

(Estb. on 1-4-1996 U/s 3 of the Madhya Pradesh Ayurvigyan Parishad Adhiniyam 1987)
(M. P. Act No. 11 of 1990)



Tele: (0755) 2767786
Fax : (0755) 2551568
Email: registrarmpe@gmail.com

F-7, Sanchi omplex,
Opp. Board Office,
Bhopal (MP) 462 016
web:registrarmpe.com

क्रमांक/एमपीएमसी/स्था./2016/459


भोपाल दिनांक 20/1/16

// कार्यालय आदेश //

Condonation of delay प्रकरण को परिषद स्तर से निराकरण करने हेतु एम.सी.आय. द्वारा निर्देशित किया गया है। जिसके परिप्रेक्ष्य में परिषद की वार्षिक बैठक दिनांक 07.01.2016 के प्रस्ताव क्रमांक 07 में पारित निर्णय अनुसार Condonation of delay प्रकरण को परिषद स्तर से निराकरण करने हेतु आवेदन फार्म जमा करने के पूर्व निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना है :-

1. प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन से परमानेंट रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन के बीच की अवधि में आवेदक क्या करता रहा है तथा आवेदक के विरुद्ध कहीं कोई अपराध तो पंजीबद्ध नहीं है इस संबंध में शपथ पत्र लेना।
2. यदि कहीं पर चिकित्सा सेवा की गई है या पी0जी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया गया हो तो संबंधित संस्थान से प्रमाण पत्र लेना।
3. Condonation of delay हेतु शुल्क की राशि रु. 5000/- निर्धारित की गई है, यह राशि पंजीयन शुल्क एवं पेनाल्टी के अतिरिक्त देय होगी।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाकर आवेदन फार्म जमा किये जाने हेतु एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है।


(डा0 एस.एस. काजमी)

रजिस्ट्रार


मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल भोपाल

भोपाल दिनांक 20/1/16

क्र./एमपीएमसी/रजि./ 2016/460-464


प्रतिलिपि:-

1. उप-पंजीयक म0प्र0 मेडिकल कौंसिल, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. लेखा शाखा म0प्र0 मेडिकल कौंसिल, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. रजिस्ट्रेशन शाखा 2, लीगल शाखा,
4. कार्यालय नस्ती


(डा0 एस.एस. काजमी)

रजिस्ट्रार

मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल भोपाल


18-01-16